**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 4698**

**उत्तर देने की तारीख : 21.08.2025**

**ऋण गारंटी योजना**

**4698. श्री मलैयारासन डी. :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऋण गारंटी योजना का ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य, पात्रता मानदंड और कवरेज क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में लाभान्वित होने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने एमएसएमई विकास और वित्त तक पहुंच के संवर्धन में ऋण गारंटी योजना की प्रभावशीलता को आंकने के लिए कोई मूल्यांकन या प्रभाव संबंधी आकलन किया है;

(घ) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों या उभरते क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए ऋण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ऋण गारंटी योजना के दायरे का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार ऋण गारंटी योजना में कोई सुधार लाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) को लागू करता है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्य ऋणदाता संस्थानों को एमएसई को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और तृतीय-पक्ष गारंटी के क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है। इस योजना के तहत गारंटी की अधिकतम सीमा प्रति उधारकर्ता 10 करोड़ रुपए है और गारंटी कवरेज उधारकर्ता की श्रेणी और/या भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 75% से 90% तक है।

(ख) : तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों में इस योजना के अंतर्गत एमएसई को दी गई कुल गारंटियों की संख्या इस प्रकार है:

| सीजीएस-अनुमोदित गारंटियां-तमिलनाडु राज्य | | |
|---|---|---|
| वित्त वर्ष | अनुमोदित गारंटियों की संख्या | अनुमोदित राशि ( करोड़ रु. में) |
| 2022-23 | 61,883 | 7,114 |
| 2023-24 | 1,13,815 | 15,061 |
| 2024-25 | 1,79,817 | 21,447 |

(ग) : एमएसई के विकास को बढ़ावा देने और वित्त तक पहुंच बढ़ाने में सीजीएस की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, सरकार ने 2017 और 2021 में योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया है।

(घ) और (ङ) : योजना का दायरा बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों व उभरते क्षेत्रों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण की बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, सीजीटीएमएसई में 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि का समावेशन करने के बाद, दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी रूप से सीजीएस का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन के तहत, गारंटी कवरेज की सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई और वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) की मानक दर 50% घटाकर 0.37% प्रति वर्ष कर दी गई।

इसके अलावा, भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में गारंटी कवरेज की सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी है और 1 करोड़ रुपए से अधिक की गारंटी के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को युक्तिसंगत बनाया है, जो दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी है।

*****